

North Eastern Railway Expression of Interest

For development of network of Freight Handling Terminal with the participation of Private Sector through Public Private Partnership (PPP) on revenue sharing basis.

1.0 Ministry of Railways by opening of area of Terminal development with participation of the logistic service providers to create world-class logistic facilities have issued policy guidelines on Private Freight Terminals (PFT).

2.0 Accordingly North Eastern Railway, Gorakhpur hereby invites **Expression of Interest (EOI)** from the interested parties falling under any of the eligibility criteria as given in Para 4.0 :-

3.0 Objectives of the policy :-

3.1 Enable rapid development of network of freight handling terminals with the participation of Private Sector.

3.2 Enhance the presence and share of railways in the overall transport chain.

3.3 Divert traffic so far predominantly moving by road to rail and attain increase Rail freight volumes by offering integrated, efficient and cost effective logistics and warehousing solutions to users.

4.0 Main feature of the above policy:-

4.1 Eligibility Criteria :-

- i. A company registered in India under the Companies Act, 1956, or
- ii. A public sector entity (PSUs or organizations created under an act of Parliament.) or
- iii. An entity registered as a Cooperative Society under the Cooperative Societies Act 1912, or
- iv. An entity owning an existing Private siding or an assisted siding, or
- v. A subsidiary of an entity covered in (i) or (ii) above, or
- vi. A joint venture company, or
- vii. A consortium.

4.2 Application Fee :- Interested party may apply for PFT along with an application fee of Rs. 1 crore enclosing various documents such as Papers relating to eligibility criteria. Feasibility report of the proposed PFT. Projection of anticipated business volumes & a list of authorized users of PFT..

4.3 Revenue Sharing :- Revenue sharing will start after five years of notification of PFT in case of Green Field (all together new PFT) and after two years of notification of PFT in case of Brown Field (Existing Private Siding to be converted into PFT). Revenue sharing will be done by PFT holders to Railway Administration @ Rs. 16 per tone from the charges collected from PFT users.

5.0 Note:

(5.1) For full details please see the policy guidelines issued under Freight Marketing Circular No. 05 of 2012 and circular no. 01 of 2014 vide Railway Board's letter no. 2011/TC(FM)/14/14 Dated 23.04.2012 and 09.01.2014 or North Eastern Railway's Rates Circular (Goods) No. 49 of 2012 dated 02.05.2012 and circular no. 05 of 2014 dated 31-01-2014 by visiting Ministry of Railway's website: www.indianrailways.gov.in or North Eastern Railway's website www.ner.indianrailways.gov.in.

6.0 For clarification and further details :- Interested parties or Representative may contact -

- i. Dy. Chief Commercial Manager/Claims, North Eastern Railway, Gorakhpur – 273012, Mobile No. 09794840954, e-mail dycco.ner@gmail.com, or
- ii. ACM/FMSR, North Eastern Railway, Gorakhpur Mob. No. 09794840963 & email acmfmsr.ner@gmail.com, or
- iii. Sr. DCM/Izzatnagar, Sr. DCM/Lucknow, Sr. DCM/Varanasi

Responses/Expression of Interest (EOI) may be submitted addressed to Chief Commercial Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur.

On receipt of adequate responses necessary notification for inviting applications may be issued of subsequently.

s/d

Chief Commercial Manager/FMS

पूर्वोत्तर रेलवे रूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ इन्ट्रैस्ट)

सार्वजनिक/निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत आय में भागीदारी के आधार पर रेलों पर माल भाड़ा टर्मिनलों को निजी संस्थाओं द्वारा विकसित किये जाने के सम्बन्ध में रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)।

- 1.0 माल टर्मिनलों के विकास एवं उन्हें लाजिस्टिक सेवा प्रदाताओं की भागीदारी से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस सम्बन्धित क्षेत्र को निजी भागीदारी हेतु खोलने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (PFT) की नीति जारी की है।
- 2.0 उक्त नीति के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर इच्छुक पार्टियों जो नीचे दिये गये पैरा 4.0 के मानदण्ड में से किसी एक के अन्तर्गत आती है, से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करती है।
- 3.0 **नीति का उद्देश्य :-**
 - (i) निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वारा माल भाड़ा टर्मिनलों के संजाल को तीव्र गति से विकसित करना।
 - (ii) सम्पूर्ण यातायात श्रृंखला में रेलवे की उपस्थिति एवं भागीदारी बढ़ाना।
 - (iii) एकीकृत, कुशल एवं मूल्य आधारित लाजिस्टिक एवं भंडारण सेवा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए, सड़क मार्ग से अधिकायता में चलने वाले यातायात को रेल की ओर मोड़ने एवं रेल भाड़ा को उच्चतम स्तर प्राप्त कराना।

4.0 नीति के प्रमुख बिन्दु :-

4.1 पात्रता के मानदण्ड :-

- (i) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन भारत में पंजीकृत कम्पनी अथवा
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हो या संसद के किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया कोई संगठन) अथवा
- (iii) सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अन्तर्गत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत कोई निकाय अथवा
- (iv) प्राइवेट अथवा असिस्टेड साइडिंग के स्वामित्व वाला कोई निकाय कम्पनी वर्तमान में निजी या सहायक स्वामित्व वाली हो, अथवा
- (v) उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के अन्तर्गत आने वाले निकायों की सहायक कम्पनियाँ अथवा
- (vi) संयुक्त उपक्रम कम्पनी, अथवा
- (vii) कम्पनियों का समूह।

4.2 **आवेदन शुल्क:-** इच्छुक पार्टी आवेदन शुल्क एक करोड़ रुपये के साथ विभिन्न कागजात यथा पात्रता के मापदण्ड से संबंधित प्रपत्र, प्रस्तावित पीएफटी की फिजीबिलिटी रिपोर्ट, अनुमानित व्यवसाय का वाल्युम तथा पीएफटी के प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं की सूची से संबंधित अभिलेखों को लगाकर पी.एफ.टी हेतु आवेदन कर सकता है।

4.3 **राजस्व में हिस्सेदारी:-** ग्रीन फील्ड (पूर्णतय: नया निजी माल टर्मिनल) के अन्तर्गत नामित पी.एफ.टी. के मामले में अधिसूचना जारी होने के 05 वर्ष बाद से तथा ब्राउन फील्ड (वर्तमान में कार्यरत साइडिंग से पी.एफ.टी.में परिवर्तन) के अन्तर्गत नामित पीएफटी के मामले में अधिसूचना जारी होने के दो वर्ष के बाद से राजस्व में हिस्सेदारी आरम्भ होगी। निजी पीएफटी मालिकों द्वारा पी.एफ.टी. के प्रयोगकर्ताओं से वसूले गये प्रभार में से रू0 16/- (रू0 सोलह मात्र) प्रति टन की दर से राजस्व में हिस्सेदारी पी.एफ.टी. मालिकों द्वारा रेल प्रशासन को की जायेगी।

5.0 नोट :-

5.1 पूर्ण विवरण के लिए कृपया रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2011/टीसी(एफएम)/14/14 दिनांक 23.04.2012 एवं 09.01.2014 के अन्तर्गत जारी फ्रेट मार्केटिंग परिपत्र सं0 05 वर्ष 2012 तथा 01 वर्ष 2014 अथवा पूर्वोत्तर रेलवे का दर परिपत्र (माल) सं0 49 वर्ष 2012 दिनांक 02.05.2012 एवं दर परिपत्र (माल) सं0 05.वर्ष 2014 दिनांक 30.01.2014 देखें। इस हेतु रेलवे बोर्ड की वेबसाईट www.indianrailways.gov.in या पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in पर जाये।

- 6.0 स्पष्टीकरण एवं अन्य जानकारी हेतु :- इच्छुक पार्टियां या उनके प्रतिनिधि सम्पर्क कर सकते हैं –
- उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/दावा ,पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर , दूरभाष सं0 0974940954, ई-मेल dycco.ner@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 - सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/एफएमएसआर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर दूरभाष सं0 09794840963, ई-मेल acmfmsr.ner@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 - वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/इज्जतनगर, लखनऊ , वाराणसी ।

इच्छुक पार्टियां अपनी प्रतिउत्तर/रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को सम्बोधित कर प्रेषित कर सकती हैं।

पर्याप्त सं0 प्रतिउत्तर/रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त होने पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु आवश्यक अधिसूचना जारी की जा सकती है।

नोट – किसी भी बिन्दू पर संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य एवं अंतिम होगा।

s/d
मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/एफ.एम.एस.